Phone/Fax- 01363-244204

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1220/10 एल.ए.
सेवा में

दिनांक 7/07/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– जनपद चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449 है. वनभूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 2912/FU/UK/ROAD/18867/2016 देहरादून दिनांक 24.06.2021,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/217/2016 एफ0सी0/945 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा सैद्धानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.898 है. ग्राम–खण्डूडा, ग्राम तलाई, ग्राम–सलियाणा तल्ला व मल्ला ग्राम नैल ग्राम–बांगडी, ग्राम– कोल्सों सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–नौली की सिविल भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जा चुका है। संलग्नः–1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि जमा की जायेगी।	विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन.पी.वी. की धनराशि CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्नः–1
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की की दर मे अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की दर मे बढोतरी होने पर बढी हुई धनराशि जमा कर दी जायेगी। संलग्नः–1
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी.दिनांक 05.02.2019 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	विभाग द्वारा एन.पी.वी. एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन–लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMPA के खाते में जमा कर दी गई है। संलग्नः–1

Scanned by CamScanner

	सड़क निर्माण के पश्चात जहा –जहा संभव हो सड़क के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख मे Strip plantation की जायेगी इस आशय की वचन बद्दता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर व विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा। संलग्नः–1
6	State Govt Will provide hard copy of geo-referended digital map of the forest land for diversion and the land proposed of CA as uploaded in online portal	प्रस्तावित मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिटल मानचित्र की प्रति संलग्न कर दिया गया है। संलग्नः–3 नं.
7	State Govt will provide original or attested hard copy village Lavel committee meeting proceeding of village airwadi and ghandiyal which is uploaded online with FRA certificate	उपरोक्तानुसार FRA संलग्न कर दिया गया है। संलग्नः–1 नं.
8	State Govt. will upload village Lavel Committee meeting proceeding of village khandura online and also provide original /attested hard copy	खण्डूड़ा ग्राम धारकोट ग्राम पंचायत में आता है, उपरोक्तानुसार धारकोट की village Lavel Committee में खण्डूड़ा ग्राम की अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। संलग्नः–1 नं.

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित किया जाता है। उक्त आख्या अपने स्तर से प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

19.07.021

(इं. पी.सी.जोशी)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

17/7/21

पत्रांक /10 एल.ए. दिनांक / /2021

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दरानगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 'नियोजन–।।।' लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियन्ता स्तर –। लो0नि0वि0 पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता 7वॉं वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

Scanned by CamScanner

BANK COPY

- NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 14-11-2017

Agency Name	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6197860215
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.-Cham Chamoli
Amount(in Rs)	1686149/-

Amount in Words: Sixteen Lakh Eighty-Six Thousand One Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	1508961978860215
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore. * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

y send a line of confirmation through

20 DEC 2017

Sandeep Singh

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

015215 1/1

Scanned by CamScanner

प्रतिपर्ण / Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

शाखा/Branch:..KARANPRAYAG - 2385

दिनांक/Date...19.12.2017...

Received From...Ex. Engineer Rural Division. P.W.D. Karan Prayag

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on: 621410 dt 19.12.17.........से प्राप्त किया

बैंक/Bank: ...Corporation Bank

शाखा/Branch: ..C.C.S. Bangalore

के पक्ष में/Favouring ...Uttranchal Lmited

20 DEC 2017

...n Singh

आईएफएससी कोड/ IFSCCode: CORP0000633

खाता संख्या/Account No: 1505561978602157

राशि (रुपये)/Amount Rs.	1686149 --
बैंक प्रभार/Bank's charges Rs.	—
योग /Total Rs.	1686149 --

राशि/Rupees(in words):- Sixteen lac Eighty six thousand one hundred forty nine only.)

SBIN R52017122000027824

Sandeep

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

015215

	[illegible]/2015 [Con]struction of Baniyasn [illegible] Road From [illegible] Chaukot Motor Road in [illegible] 11	[illegible]2015215	[illegible]	07 Sep 2017	CA: [illegible] PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: [illegible]/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: [illegible]/-	Addl CA: 0/- CAT: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Nov 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 14 Nov 2017 **Transaction Date** : 20 Dec 2017	Demand Letter Generated Challan

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

9-3-18

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियाला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0-08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 217 / 2016 / एफ0सी0 / 945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियाला तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम नौली**, प0वृ0 थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0ख0सं0–12 के खसरा सं0–126 रकबा 5.086 है0 मध्ये 2.898 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नौनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (20) / 2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी)
जिलाधिकारी
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या 3179 / छब्बीस– 12 (2017–2018) संविदा दिनांक 3 मार्च, 2018

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

Photo copy attested

जिलाधिकारी
चमोली

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक वन संरक्षक
ब0, वन प्रभाग
कर्णप्रयाग (चमोली)

PTO

Scanned by CamScanner

NZA [illegible] ग्राम [illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	
	[illegible] 10(4) [illegible]	[illegible]			
2	[illegible]	2	7.248		आदेश [illegible] 3179/[illegible] 12(2017-2018) [illegible] 2018 [illegible] 12 [illegible] 126 [illegible] 5.086 [illegible] 273/[illegible] 111 (1) /2012.18 (120[illegible]) 2010 [illegible] 17 [illegible] 2012 [illegible] किया
		71	0.553		
		78	0.017		
		81	0.010		
		126	5.086		
		241	0.065		
		312	0.029		
		325	0.008		
		375	0.060		
		413	0.018		
		450	0.030		
		613	0.034		
		617	0.087		
		622	0.014		
		646	0.020		
		693	0.373		
		704	0.179		
		799	0.095		
		19	13.996		

[illegible] 3.7.18
[illegible]

[illegible] / NZA [illegible]

[illegible]
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

C.S.
10/04/2013
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

[illegible] अभियन्ता
[illegible]

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

Email-dfo_badrinath_ua@yahoo.co.in Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1350 /12-1 , गोपेश्वर, दिनांक 26/09/ 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–जुनाकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.449 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी० /06/217/2016/एफ०सी०/945 दिनांक 07-09-2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आवश्यक धनराशि का मांग पत्र निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है–

1. शर्त सं०-01 के अनुसार [illegible] 2.898 है० [illegible] धनराशि रु० 7,34,156.00 [illegible]

[illegible] भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि (है०)	धनराशि (प्रति है०)	कुल धनराशि (देय धनराशि)
1	2	3
2.898 है०	2,53,332.00	7,34,156.00

2. शर्त सं०-02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० 5-1/2007-एफ०सी० दिनांक [illegible] के क्रम में [illegible] शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) हेतु देय धनराशि रु० 9,51,993.00 [illegible]

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है०	देय धनराशि (कालम 3 व 4)
1	2	3	4	5
V	0.3 (Open forest)	6,57,000.00	1.449	9,51,993.00

3. शर्त सं०-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य [illegible]
4. शर्त सं० 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं० 01 व शर्त 02 में देय धनराशि [illegible]
5. शर्त सं०-05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण [illegible] Central Verge [illegible] Strip Plantation [illegible]
6. State Govt. will provide original hard copy of geo-referenced digital map of the forest land for diversion and the land proposed for CA as uploaded in online portal.
7. State Govt. will provide original or attested hard copy of Village Level Committee meeting proceeding of village [illegible] and [illegible] which is uploaded online with FRA certificate.
8. State Govt. will upload village level committee meeting proceeding of village [illegible] online and also provide original attested hard copy.
9. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त [illegible]

अतः आप [illegible] ऑनलाइन [illegible] शर्त 01 व शर्त 02 की देय धनराशि [illegible] सैद्धान्तिक स्वीकृति के अतिरिक्त शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु [illegible]

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक– / दिनांकित।

प्रतिलिपि– [illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०

कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

डिजिटल मैप:-सिमंली-चूलाकोट मोटर मार्ग से ग्राम बणियास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

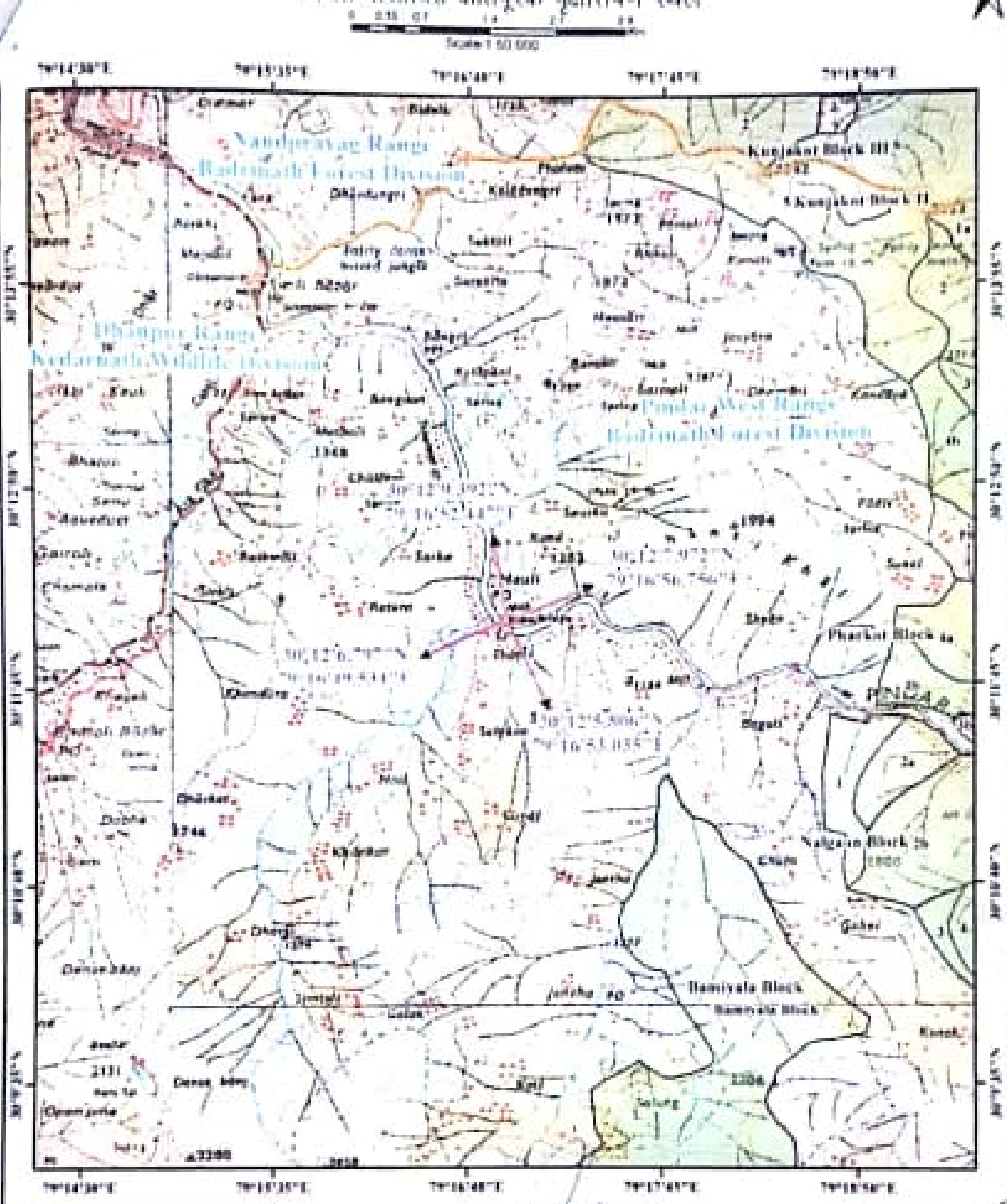

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed Land

प्रभागीय वनाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभियन्ता

रेफरेन्स मैप– सिमली–चूलाकोट मो[illegible] मार्ग से ग्राम वणिदास मोटर मार्ग तक निर्माण हेतु चयनित संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

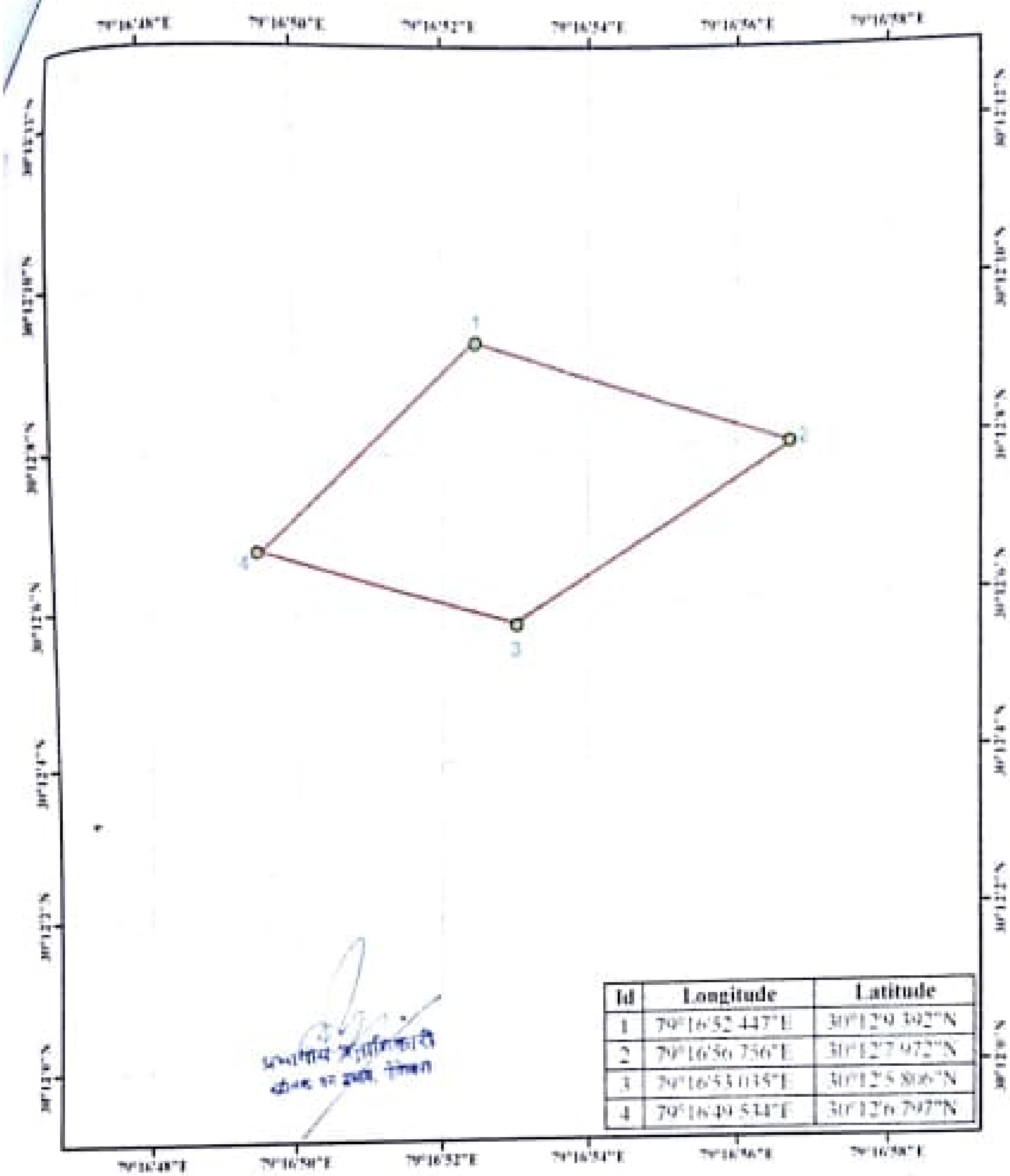

Id	Longitude	Latitude
1	79°16'52.447"E	30°12'9.392"N
2	79°16'56.756"E	30°12'7.972"N
3	79°16'53.035"E	30°12'5.806"N
4	79°16'49.534"E	30°12'6.797"N

Legend

- GPS coordinates
- Proposed Land

Assistant Engineer
P.W.D. Karanprayag

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम बणियारा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वनभूमि हस्तान्तरण में वन विभाग द्वारा निर्धारित एन०पी०वी० की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करादी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि	कनिष्ठ अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner

परियोजना का नाम– जिला चमोली में सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 11 से ग्राम वणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.449है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानो पर यथा सम्भव वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

Scanned by CamScanner